

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा, जिला -  
भीलवाड़ा

**::आदेश ::**

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी मोहन का खेड़ा व भूअभिलेख निरीक्षक शनिवार की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम कुप्राड पटवार हल्का मोहन का खेड़ा तहसील करेड़ा व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् 2074-2077 में खाता संख्या 13, 63 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जा कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिए जाते हैं :-

क्रम संख्या	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
12	कुप्राड	13, 63	भाग्य पि० खेरा	भाग्य उर्फ भांगु पि० खेरा

**प्रभारी अधिकारी**  
**उपखण्ड अधिकारी**  
**करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा**

क्रमांक:- न्यायालय /2021 / 12

दिनांक:- 29/11/2021

**प्रतिलिपि:-**

1. तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री भांगु उर्फ भांगु पि० खेरा

**प्रभारी अधिकारी**  
**उपखण्ड अधिकारी**  
**करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा**

